

२९/९/२५

पत्रा० आज पैरा हुई। शर्मा वकील उपा।  
 तहसीलदार नदर द्वारा पत्रांक शा. दिनांक  
 18/09/25 से रिपोर्ट मिलवाई गई। जो जांच  
 पत्रावली की गई। शर्मा वकील की वकस  
 सुनी गई। वकस के दौरान शर्मा वकील के  
 कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में शर्मा के  
 पिता का नाम ब्रजी उर्फ ब्रजमोहन के स्थान  
 पर समन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह शुद्ध किया  
 जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली पर उपरोक्त  
 रिकॉर्ड व तहसीलदार नदर की रिपोर्ट का  
 अवलोकन किया गया तहसीलदार नदर की  
 रिपोर्ट के अनुसार, नारायण सिंह, समन्दर सिंह  
 का भ्राता है। एवं समन्दर सिंह पुत्र ब्रजी उर्फ ब्रजमोहन  
 सही नाम बताया गया है। एवं समन्दर पुत्र नारायण सिंह  
 के स्थान पर समन्दर सिंह पुत्र ब्रजी उर्फ ब्रजमोहन  
 किये जाने की अभिशंका भी की गई है।

अतः शर्मा का प्रवेना पत्र स्वीकार

४

आधार कार्ड पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में समन्दर सिंह पुत्र ब्रजमोहन  
 सही अंकित है व अन्य खाता सं. 345 व 459 व 720 में भी सही अंकित है।



किया जाकर पूर्ण का नाम अर्थात् के  
जाना सं. 718, न. 19 वाके प्राप्त अर्थात् सं.  
सागरसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर  
वामनदेवसिंह पुत्र बाली उर्फ बलभोजन किया  
जाता है। उमानुसार वाणख रिकॉर्ड  
सं. अंकन करने की अनुमति प्रदान की  
जाती है।

पत्र सं. 1000 शुभारंभ के नंबर से कम  
की जाकर दायित्व कर्तार है।

उपखण्ड अधिकारी  
भदवर्द (भरतपुर)